



जनपद हमीरपुर

थाना चिकासी

प्रेसनोट

दिनांक 23.04.2026

मु0अ0सं0-35/26 धारा- 137(2)/70(2)/49 बीएनएस व 3/4 , 7/8 , 16/17 पाक्सो एक्ट तथा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.04.2026 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा लक्षीराम लोधी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-35/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम 1. इमरान उर्फ सिप्टेन पुत्र सज्जात नि0ग्राम नूरपुर थाना अमरिया जनपद पीलीभीत 2. रिहान पुत्र सफीक निवासी ग्राम नूरपुर थाना अमरिया जनपद पीलीभीत के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था।



पुलिस कार्यवाही-

दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 70(2),49 बीएनएस व 3/4, 7/8, 16/17 तथा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की बढ़ोत्तरी कर प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त सुखचैन सिंह पुत्र दलवीर निवासी मझोला पकड़िया, थाना नूरिया ,जनपद पीलीभीत (उम्र करीब 42 वर्ष) को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सुखचैन सिंह पुत्र दलवीर (उम्र करीब 42 वर्ष) निवासी मझोला पकड़िया, थाना नूरिया ,जनपद पीलीभीत।

गिरफ्तारी का स्थान-

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के पास ग्राम बरौली खारका, थाना चिकासी, जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 भुलईराम यादव
2. का0 छोटेलाल यादव
3. हे0का0 दारा सिंह